दिनांक 19 अगस्त, 1980

क्रमांक **1210-ज(I)-80/29131.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सन्त राम, पुत्र श्री गंगा सिंह, गांव पिलखनी, तहसील व जिला अम्बाला, को खरीफ़, 1967 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरीफ़, 1970 से खरीफ़, 1972 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **777-ज(I)-80/29137.**—श्री गणपत सिंह, पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव खेड़ी, तहसील व जिला नारनौल, की दिनांक 10 अक्तूबर, 1977, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणपत सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2071/ज-I-72-30048, दिनांक 11 अगस्त, 1972 तथा 5041-2-III-70/2905, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती शीला देवी के नाम खरीफ़, 1978 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 अगस्त, 1980

क्रमांक **1232-ज(II)-80/29410.**—श्री साएखां, पुत्र श्री ढोला, गांव विसरण, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 10 नवम्बर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री साएखां को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 304-र-(III)-70/5964, दिनांक 16 मार्च, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धम्मो के नाम खरीफ़, 1976 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1268-ज(I)-80/29414.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुखदेव सिंह, पुत्र श्री जोहरी लाल, गांव कंवाली, तहसील रिवाड़ी, जिला नारनौल, को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1024-ज(II)-80/29418.**—श्री सीस राम, पुत्र श्री धन सिंह, गांव कालियावास, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की दिनांक 5 सितम्बर, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सीस राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2182-र-III-69/4544, दिनांक 2 दिसम्बर, 1969, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धर्म कौर के नाम रबी, 1979 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 अगस्त, 1980

क्रमांक **1267 ज(I)-80/29549.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों

का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गयी फसल तथा राशि एवं सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

| क्रमांक | जिला | जागीर पाने वाले का नाम | गांव व पत्ता | तहसील | फसल/वर्ष जब से जागीर दी गयी | वार्षिक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नारनौल | श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र श्री राम चन्द | नौतानां | महेन्द्रगढ़ | खरीफ, 1976 से खरीफ़, 1979 तक | ० 150 |
| | | | | | रबी, 1980 से | 300 |
| 2 | ,, | श्री भगवान सिंह, पुत्र श्री जोरा सिंह | लुहाना | रेवाड़ी | रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक | 150 |
| | | | | | रबी, 1980 से | 300 |

रघुनाथ जोशी,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

## LABOUR DEPARTMENT

The 27th August, 1980

No. 11 (112)-80-3Lab/9736.—In pursuance of the provision of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Labour Court, Faridabad, in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Vishal Private Limited, 49-DLF, Industrial Estate, Faridabad.

IN THE COURT OF SHRI I. P. CHAUDHRY, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, HARYANA, FARIDABAD.

**Reference No. 63 of 1980**

*between*

SHRI SURENDER PAUL, WORKMAN AND THE MANAGEMENT OF M/S VISHAL PRIVATE LTD., 49, D.L.F., INDUSTRIAL ESTATE, FARIDABAD

*Present.*—

Shri Darshan Singh, for the workman.

Shri K. P. Aggarwal, for the respondent management.

AWARD

This reference No. 63 of 1980 has been referred to this Court by the Hon'ble Governor of Haryana,—*vide* his order No. ID/FD/273-79/7505, dated 8th February, 1980, under section 10 (i) (c) of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication of the dispute existing between Shri Surender Paul, workman and the management of M/s Vishal Private Ltd., 49, D.L.F., Industrial Estate, Faridabad. The term of the reference was :—

Whether the termination of services of Shri Surender Paul was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

After receiving the order of reference notices were sent to both the parties. The parties appeared and filed their pleadings and on the pleadings of the parties issues were framed on 2nd June, 1980, and the case was fixed for recording of evidence of the management for 22nd July, 1980. On 22nd July, 1980, the workman Shri Surender Paul made a statement before this court that he had settled his dispute with the management and the management will pay Rs. 1,000 to him on 23rd July, 1980, On 23rd July, 1980, the management paid Rs 1,000 to the workman before this court. Now he had no dispute or claim left with the management including his right of reinstatement/re-employment. The statement of the workman was agreed to by the representative of the management.

In the light of the above statements made by the parties, I hold that the demand raised by the workman against the management has been duly satisfied. There is now no dispute remains to be adjudicated between the parties. No order as to costs.

This be read in answer to this reference.

I. P. CHAUDHRY,

Dated the 6th August, 198.

Presiding Officer,
Labour Court, Haryana,
Faridabad.

---

Endorsement No. 1397, dated 11th August, 1980.

Forwarded (four copies) to the Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947, with the request that receipt of the award may please be acknowledged within week's time.

I. P. CHAUDHRY,

Presiding Officer,
Labour Court, Haryana,
Faridabad.

---

H. L. GUGNANI,

Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Departments.

42829CS(H)—Govt. Press, Chd.